पत्र संख्या–वन भूमि–23/2019– 2578 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003

राँची, दिनांक– 11/07/2019

विषयः– लातेहार जिलान्तर्गत तुबेद कोल ब्लॉक हेतु 162.394 हे0 वन भूमि (54.365 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 108.029 हे0 जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) के रूप में अंकित भूमि) के अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–607 दिनांक–31.05.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वन भूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(3) प्रस्तावित वन भूमि के दोगुणे अवकृष्ट वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(4) विषयक परियोजना के लिए CWLW द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी (संरक्षण) प्रबंधन योजना के अनुरूप संशोधित बजट प्रावधान के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन की राशि प्रयोक्ता अभिकरण से वसूलनीय होगा।

(5) विषयक परियोजना के अन्दर पड़ रहे डिही सुरक्षित वन के क्षेत्र में की गई व्यय की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(6) अन्य मानक शर्त्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/7/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

v.Van-Bhumi-2019-114

ज्ञापांक–वन भूमि–23 / 2019– 2578 व0प0, राँची दिनांक– 11/07/2019

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0–A–2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

11/7/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–23 / 2019– 2578 व0प0, राँची दिनांक–11/07/2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / उप मुख्य अभियन्ता, (यांत्रिक), ईंधन दामोदर घाटी निगम, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)–700054 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 162.394 ha of Forest Land for Tubed Coal Mine in favour of Damodar Valley Corporation.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 162.394 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 2578 dated- 11/07/2019

Signature : [signature] 11/7/19

Name & Designation : Sunil Kumar
(O.S.D.)
Forest, Environment & Climate
Change Department

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : ....

Place : Ranchi

(Official Seal)